न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 31/2022 **दायर दिनांकः 22/11/2022**
रजि0 नं0 2022/303

उनवान

1. रामचन्द्र उम्र 63 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट.

उपस्थित :—
प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह
अप्रार्थीः—पेरोकार सरकार

आदेश **दिनाकः 27/03/2023**

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के एवं उसके परिवार के शामलाती खाते कि आराजी ग्राम व माल पटना पटवार हल्का पटना तहसील अटरू में खाता संख्या 206 का किता 3 का कुल रकबा 2.00 है0 प्रार्थी व उसके परिवार के शामलाती खाते दर्ज है। जिसमें प्रार्थी की माता का नाम कंचनबाई पत्नी रामगोपाल दर्ज हो रहा है। जबकि प्रार्थी की माता का नाम कन्याबाई है। प्रार्थी की माता का नाम परिवार के राशनकार्ड एवं आधारकार्ड बैंक पास बुक में कन्याबाई पत्नी रामगोपाल जाति धाकड दर्ज है। प्रार्थी ने अपनी माता का राशनकार्ड एवं आधारकार्ड की फोटो कापी सरपंच साहब ग्राम पंचायत पअना का प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है जिससे भी यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की माता का वास्तविक नाम कन्याबाई ही है। इसलिये प्रार्थी अपने राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज हुये अपनी माता के नाम कंचनबाई को दुरूस्त करा कर

उसके स्थान पर सही नाम कन्याबाई पत्नी रामगोपाल जाति धाकड दर्ज कराना चाहता है। प्रार्थी की माता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी व उसके परिवार को बैंक व सरकारी संस्था से लोन लेने एवं अन्य सरकारी सहायता प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है एवं सरकारी सहायताओं से वंचित होना पड रहा है जिससे प्रार्थी व उसके परिवार को काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड रहा है इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी तहसीलदार साहब अटरू को आदेश प्रदान किया जावे कि प्रार्थी की माता का नाम ग्राम व माल पटना तहसील अटरू के खाता संख्या 206 की कुल किता 3 का कुल रकबा 2.00 है0 के राजस्व रिकार्ड में कंचनबाई के स्थान पर दुरूस्त कर कन्याबाई पत्नी रामगोपाल जाति धाकड निवासी पटना तहसील अटरू दर्ज किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे बहस करने का निवेदन किया।

3. साक्ष्यप्रार्थी के तहत pw 1 रामचन्द्र पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी पटना तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने बताया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मेरे शामलाती खाता दर्ज है जिसमें मेरी माता का नाम कंचनबाई दर्ज है जो गलत है मेरी माता का सही नाम कन्याबाई है। जो दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि में कन्याबाई ही दर्ज है जो प्रार्थी का वास्तविक नाम है। अतः प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में दर्ज्र हुये गलत नाम कंचनबाई को दुरूस्त करा कर कन्याबाई दर्ज कराया जाना आवश्यक हैं।

4. अभिभाषक प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि ग्राम व माल पटना पटवार हल्का पटना तहसील अटरू में खाता संख्या 206 का किता 3 का कुल रकबा 2.00 है0 प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज है जिसमें प्रार्थी की माता का नाम कंचनबाई पत्नी रामगोपाल दर्ज है जबकि प्रार्थी की माता का नाम कन्याबाई है जो उसके सभी दस्तावेजों सही अंकित है। अतः उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी की माता का नाम कंचनबाई के स्थान पर कन्याबाई दर्ज किया जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा अभिभाषक प्रार्थी की बहस का कोई विरोध नहीं किया एवं प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

5. उभय पक्षकारान की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम पटना की प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 206 ख0नं0 33 की 0.50 है0, ख0नं0 34 की 1.46 है0, ख0नं0 480 की 0.04 है0 आराजी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते दर्ज है जिसमें प्रार्थी की माता का नाम सहखातेदार के रूप में कंचनबाई पत्नी गोपाल हिस्सा 1/9 दर्ज है। प्रस्तुत अन्य दस्तावेज राम कन्या बाई के मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी की माता का नाम राम कन्या बाई पत्नी रामगोपाल था जिसकी मृत्यु दिनांक 11.05.2021 को हो चुकी है। आधार कार्ड, स्टेट बैक की बैंक पास बुक में प्रार्थी की माता का नाम राम कन्या बाई पत्नी रामगोपाल दर्ज है। परिवार राशन कार्ड में रामकन्या बाई, ग्राम पटना की निर्वाचक नामावली 2018 के क्रम संख्या 26 पर रामकन्याबाई पत्नि गोपाल अंकित है। प्रार्थी द्वारा पेश 50 रू के स्टाम्प पेपर के अवलोकन से जाहिर है कि रामकन्याबाई पत्नी रामगोपाल की मृत्यु 11.05.2021 को हो चुकी है और मृतक रामकन्याबाई के कुल 8 कानूनी वारिस है। ग्राम पंचायत पटना के प्रमाण पत्र अनुसार रामगोपाल धाकड की रामकन्या पत्नी थी न कि कंचन बाई थी। कंचन बाई नाम गलत होना बताया है। अतः उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी की माता का नाम कंचनबाई के स्थान पर रामकन्याबाई किया जाना न्यायोचित होगा।

6. उपरोक्त विवेचन एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम पटना के खाता संख्या 206 ख0नं0 33 की 0.50 है0, ख0नं0 34 की 1.46 है0, ख0नं0 480 की 0.04 है0 किता 3 कुल रकबा 2.00 है0 आराजी में सहखातेदार कंचनबाई पत्नी गोपाल के स्थान पर रामकन्याबाई उर्फ कंचनबाई पत्नी रामगोपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां